राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1292/2023

रमेश चन्द मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी, चाकसू, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.04.2023
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए हस्तगत अपील में प्रस्तुत संशोधित अपील को रिपोर्ट पर लेकर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल बडोदिया, तहसील चाकसू, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.02.2023 (अनुलग्नक–2) के क्रम में एवं निलंबन आदेश दिनांक 20.02.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा सीसीए रूल्स के नियम 13 एवं 16 के उल्लंघन में निलंबित कर मुख्यालय तहसील बस्सी किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 ने अपीलार्थी का निलंबन अपने मस्तिष्क का स्वतंत्र प्रयोग किए बिना एवं उक्त प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को जांचे बिना किया है एवं निलंबन की न्यायसंगतता के संबंध में कोई आख्यात्मक आदेश जारी नहीं किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निलंबन आदेश दिनांक 20.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हमारे विनम्र मत में उक्त निलंबन आदेश दिनांक 20.02.2023 (अनुलग्नक–1) सक्षम अधिकारी द्वारा अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग कर जारी किया गया है। अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता एवं स्थगन के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.04.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य